

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

आल इंडिया इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,

फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.4.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	आरिष आर्य पिता-बलवंत कुमार ग्राम+पो०+थाना-दीघवारा जिला-सारण	कोकलीयर इम्प्लांट	₹ 5,80,000/- (पांच लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	हरिहर प्रसाद पिता-स्व. देवकी साव ग्राम-कल्याणपुर पो०-सोनभद्र थाना-बंशी ओ०पी० जिला-अरवल	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
3	रुद्राक्ष पिता-संजीव कुमार ग्राम-पो०-चुरामनचक थाना-भगवानपुर जिला-बेगुसराय	कोकलीयर इम्प्लांट रोग	₹ 5,80,000/- (पांच लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	अरविन्द प्रसाद पिता-राम स्वरूप गोप ग्राम-सान्ध बीगहा पो०-बाहापर थाना-कराय पर सुराय जिला-नालंदा	कुल्हा रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 13,95,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 13,95,000/- (तेरह लाख पनचानवे हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.....
.....579367..... मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

29/11/16

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन


ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 629(14)

पटना, दिनांक 03.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/
आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
2016-16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	इन्दु कुमार पिता-सीता राम यादव ग्राम-पो०-कमलाकुंड थाना-इस्माईलपुर जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
2	राम विलास शर्मा पिता-स्व. भुवनेश्वर शर्मा ग्राम-गौसी खान पो०+थाना-कुढनी जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
3	फिरोजा खातुन पति-मो० तबारक हुसैन ग्राम-पो०-दामोदरपुर थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	मीना देवी पति-रामाशीष प्रसाद ग्राम-दुर्गा नगर पो०-रैतर थाना-गिरियक जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
5	सबिया देवी पति-राम स्वरूप पंडित ग्राम-पो०-मुजौना थाना-अलौली जिला-खगड़िया	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।

29/4/16

6	लक्ष्मण यादव पिता-स्व. सिताबी यादव ग्राम-डटवाटी पो0+थाना-अमरपुर जिला-बांका	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
7	मो0 शमीम पिता-मो0 अब्दुल ग्राम-रमजानपुर पो0-धबौली, थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	सोनी कुमारी पिता-मुकेश यादव ग्राम-दरिमा पो0-गादी विशनपुर थाना-खैरा, जिला-जमुई	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,90,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,90,000/- (सात लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509369 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 509369 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

626 (14)

पटना, दिनांक 03.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.5.16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० कमलुद्दीन पिता-स्व० जैनुल आवेदीन ग्राम-पो०-घोरघट थाना-सुल्तानगंज जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	हीरा लाल यादव पिता-जानकी यादव ग्राम+पो०-ख्वासपुर थाना-बसंतपुर जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 507370 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

31/11/17
29/11/17

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० SD 9970 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 03.05.16

ज्ञापांक 628(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21/5/16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.04.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	किशन राम पिता-स्व. खुसर राम ग्राम-मरीचा पो०-खरेल थाना+जिला-सुपौल सी.आरनं०-43213/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	कामेश्वर दास पिता-स्व. नसीबी दास ग्राम-अन्दर किला पो०+थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली सी.आरनं०-23084/16	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	बिन्दा देवी पति-सहदेव महतो ग्राम-पो०-बीजबनीया थाना-सिरिसिया ओ.पी. जिला-प० चम्पारण सी.आरनं०-18515/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	रिंकु कुमारी पति-अरुण कुमार यादव ग्राम-पो०-बेनीपुर थाना-बहेड़ा जिला दरभंगा सी.आरनं०-58212/15	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
5	श्यामा कान्त पाण्डेय पिता-स्व. राम स्वरूप पाण्डेय ग्राम-बंगरा, पो०-बेलवा माधो थाना-कोटवा जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आरनं०-37997/16	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।

21/4/16
29/4/16

6	राम परीक्षण साह पिता-स्व. राम नारायण साह ग्राम-मछपकौनी पो0-बेला मछपकौनी थाना-बेला जिला-सीतामढ़ी सी.आरनं0-8375 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
7	उर्मिला देवी पति-स्व. कृष्ण कुमार राय ग्राम-दक्षिणी धमौन पो0-धमौन, थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर सी.आरनं0-27580 / 16	हृदय रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
8	नागेश्वर राय पिता-स्व. बिन्देश्वरी राय ग्राम-पो0-राजापुर थाना-बछवाड़ा जिला-बेगुसराय सी.आरनं0-45606 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
9	मुरलीधर चौधरी पिता-मेंहदी चौधरी ग्राम+पो0-हिरम्बी थाना-घोरैया जिला-बांका सी.आरनं0-141099 / 15	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / -(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	रीना देवी पति-ठाकुर उमेश सिंह ग्राम+पो0-चन्दाडीह थाना-घोरैया जिला बांका सी.आरनं0-24470 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
11	धनंजय कुमार सिंह पिता-उमा शंकर सिंह ग्राम-पो0-सौधीला थाना-मुफसिल जिला बक्सर सी.आरनं0-25018 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
12	रहीमा खातुन पति-खुर्शीद आलम ग्राम-पो0-देवरीया थाना-महराजगंज जिला-सीवान सी.आरनं0-10101 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

30/11/15
29/11/15

13	बहादुर साह पिता-हरिनाथ साह ग्राम-चनौरा गोठ वार्ड 10 पो0-चनौरा गंज थाना-झंझारपुर जिला-मधुबनी पंजी / ओपीडीनं0-099096 / 14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
14	सोने लाल ठाकुर पिता-किशोरी ठाकुर ग्राम+पो0-डुमरवाना थाना-बैरगनीया जिला-सीतामढ़ी सीआरनं0-18783 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / - (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
15	छट्टु महतो पिता-स्व. ठाकुर महतो ग्राम-खजुरी पो0-थाना-मशरक जिला-सारण सी.आरनं0-26295 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
16	अर्जुन मंडल पिता-स्व. कुसुम लाल मंडल ग्राम-सौंसा जोगीचक पो0-गोआसी थाना-के0 नगर जिला-पूर्णिया सी.आर नं0-022827 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
17	सकरातु पिता-उलफत ग्राम-बलदीया गाछी पो0-सनकोला थाना-आबादपुर जिला-कटिहार सी.आर.नं0-41191 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
18	असर्फी मांझी पिता-एतवार मांझी ग्राम-पो0-मगाईडीह थाना-मुफसिल जिला-सारण सी.आरनं0-142258 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
19	राम दुलारी देवी पति-रामधारी प्रसाद ग्राम-पो0-पुरषोतमपुर थाना-छौड़ादानो जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आरनं0-77462 / 14	किडनी रोग	₹ 30,000 / - (तीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 16,45,000 / -

29/1/16

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 16,45,000/- (सोलह लाख पैंतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509368 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
6. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509368 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 625 (14)

पटना, दिनांक 03.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21/5/16